प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : **09/12/2024**

र्ग : 3 सदन में उत्तर देने का दिनांक : **18/12/2024**

विभाग का नाम : **राजस्व**

िषय : **नक्शा तरमीम एवं बंदोबस्त संबंधी कार्य।**

अतारांकित प्रश्न क्रमांक : 1093) श्रीविवेक विक्की पटेल

या **राजस्व मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

क) मप्र शासन की योजना राजस्व महाभियान 2.0 एवं 3.0 में नक्शा तरमीम के कार्य में प्रदेश एवं जिला बालाघाट के पटवारियों आने वाली कनिकी एवं व्यवहारिक समस्याओं के संबंध में पटवारी संघ द्वारा बालाघाट जिला सहित किन किन जिलों में ज्ञापन दिए गए एवं उन ज्ञापनों के नेराकरण/समाधान हेतु क्या प्रयास किये गए ? की गयी कार्यवाही का विस्तृत विवरण देवें । (ख) नक्शा तरमीम की विधिक प्रक्रिया क्या है ? क्या जस्व महाभियान अंतर्गत नक्शा तरमीम कार्य में विधिक प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है ? यदि नहीं तो क्यों एवं इसके लिए जिम्मेदार धिकारी पर क्या अनुशासनत्मक कार्यवाही की जाएगी ? समय सीमा बताएं ? (ग) बालाघाट जिला में बंदोबस्त कितने वर्ष पूर्व हुआ था? बंदोबस्त / -सर्वेक्षण कराये जाने हेतु शासन की क्या योजना है ? बालाघाट जिला में बंदोबस्त/भू सर्वेक्षण कब तक किया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों ?यदि हाँ े कब तक समय सीमा बतावें ।

ent From : HOD - Commissioner Land Records | **Sent Date** : 26/11/2024 03:33:06 | **Target Date** : 28/11/2024

emark : कृपया तत्काल जानकारी उपलब्ध करावे।

कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख) जिला झाबुआ (म.प्र.)

पृ क्रमांक / 1541 / भू–अभि. / रानिका / 2024

झाबुआ, दिनांक 26 / 11 / 2024

प्रतिलिपि:–

1 – अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)............................(समस्त) जिला झाबुआ।

2 – तहसीलदार ....(समस्त) जिला झाबुआ।

समस्त की ओर लेख हैं कि विधानसभा प्रश्न कमांक 1093 अतारांकित प्रश्न का बिन्दुवार उत्तर की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को भेजा जाना सुनिश्चित करें।

अधीक्षक,
भू–अभिलेख झाबुआ